\	,
ਯ	7



कम्प्यूटर द्वारा जारी लाभपात्र पहचान कोड नं0 .....

## सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा 18 वर्ष से कम आयु के स्कूल न जाने वाले निःशक्त बच्चों को वित्तीय सहायता

जिला .	खण्ड / शहर ग्रा	ाम / वार्ड  आवेदन तिथि	
1.	बच्चे का नाम	,	
2.	पिता / सरंक्षक का नाम	श्री / श्रीमतीपुत्र श्रीपुत्र	
3.	सरक्षंक का बच्चे के साथ रिश्ता		
4.	जन्म तिथि (जन्म प्रमाण–पत्र)	आयु	
5.	पूर्ण स्थाई पता		
	डाक पिन कोड		
6.	आधार कार्ड संख्या (आवश्यक हैं)		
7.	बी0सी0ए0 के पास खाते का विवरण दें। बैंक / ड	गाध्यम से प्राप्त कर रहे है ? उस माध्यम के बैंक/डाकखाने डाकखाने का नाम खाता संख्या	
8.	कैटागिरी	एस०सी० बी०सी० सामान्य	
9.	गरीबी रेखा सूचि संख्या / सामाजिक आर्थिक जातीय गणना संख्या		
10.	निःशक्तता का प्रतिशत		
11.	( निःशक्तता प्रमाण पत्र संलग्न करें, जो कि 3 व क्या मंदबुद्वि बच्चों के केस में स्थानीय स्तरीय स जारी सरंक्षक प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है, या न	ामिति द्वारा	
12.	क्या प्रार्थी हरियाणा राज्य का अधिवासी है ?	हां नहीं	
13.	आवेदक की सभी साधनों से वार्षिक आय		
14.	मोबाईल फोन नं0		

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

## शपथ

	पुत्र / पुत्री / पत्नी		
	। गया विवरण मेरे सर्वोतम ज्ञान और विश्वास अनुसार ठीक एवं		
	सहायता प्राप्त की गई, तो सरकार को मेरी सभी प्रकार की		
पेंशन/वित्तीय सहायता राशि बन्द करने व 12 प्रतिशत	ब्याज सहित प्राप्त की गई राशि को वसूल करने का अधिकार		
होगा। मेरी वित्तीय सहायता आई०डी० के साथ, मेरी आ	धार संख्या को जोड़ने व बैंकों/सरकारी विभागो के साथ सूचना		
सांझा करने पर, मुझे कोई आपत्ति नही हैं। यदि मेरे द्वार	रा तीन मास में एक बार पेंशन/वित्तीय सहायता राशि बायोमैट्रिक		
पद्वति / डेबिट वाऊचर से नही निकलवाई जाती है या	फिर जीवन प्रमाणपत्र नही दिया जाता है तो विभाग को मेरी		
पेंशन/वित्तीय सहायता राशि बन्द करने व मेरे खाते में	जमा पेंशन/वित्तीय सहायता राशि को वापिस लेने का अधिकार		
होगा।			
सत्यापन (सम्बन्धित सरपंच/नम्बरदार/वार्ड पार्षद/राज	पत्रित अधिकारी द्वारा) आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान		
नाम पद पद			
40 <del></del>	\\\\		
	हे स्कूल न जाने वाले निःशक्त वित्तीय सहायता		
च उपा परा	विसाच राष्ट्राचरा।		
নিথি	हस्ताक्षर		
1811 - 1	खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी /		
	सचिव, नगर निगम/नागरिक सेवा केन्द्र(CSC)		
	नाम		
	पद		
	प्रार्थी को रसीद देवें एवं आवदेन—पत्र जिला समाज कल्याण आवेदन—पत्र कारण सहित प्रार्थी को वापिस लौटायें।		
क्रियल का	र्यात्रम प्रापेग हेत्र		
(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु) <b>जिला समाज कल्याण अधिकारी</b>			
Г	स्वीकृत अस्वीकृत		
	317414271		
नोट:– यदि आवेदन फार्म अस्वीकृत किया है तो अस्वीकृर्व	ते का कारण देवें		
तिथि	हस्ताक्षर		
1811 1	CAMBIA		

- यदि आवेदक निःशक्तता के कारण हाथ के अंगूठे / उंगली का निशान नही लगा सकता, तो उस अवस्था में पांव के अंगूठे का निशान लगाया जाये।
- 2. यदि दोनो हाथ—पांव न होने के कारण, आवेदक हस्ताक्षर करने या अंगूठे/ उंगली का निशान लगाने में असमर्थ हो, तो उसका संरक्षक उसकी ओर से हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगा सकता है।